


कार्यालय, निर्देशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान- बीकानेर

कार्यालय-आदेश

श्री ओम प्रकाश मीणा, प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, भोजमेड़(सीकर) को वित्त विभाग आदेश क्रमांक एफ.6(6) एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक 25.04.12 के प्रावधानान्तर्गत एवं राजस्थान सरकार के मेडिकल एव हैल्थ विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र संख्या SAP/2019/1018375 Date: 30-05-2019 की अभिशंका पर दिनांक 03.06.19 से इनके मूल वेतन का 6%(प्रतिशत) जो रू0 600/- (छःसौ रुपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो आसिक विकलांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है ।

श्री ओम प्रकाश मीणा, प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, भोजमेड़(सीकर) को (आकस्मिक अवकाश, राजपत्रित अवकाश को छोड़कर) अवकाश काल, कार्यभार सम्भालने हेतु मिलने वाले समय एवं निलम्बन के समय विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा ।



(नथंमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निर्देशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्थों/ए-2-7/विकलांग भत्ता/2017

दिनांक: 25.6.2019

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक,समग्र शिक्षा नीमकाथाना,सीक
2. प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, भोजमेड़(सीकर)।
3. श्री ओम प्रकाश मीणा, प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, भोजमेड़(सीकर)
4. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड हेतु
5. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निर्देशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर